

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

रीडर/2019/1353

दिनांक - 18/06/19

प्रार्थीगण
1 गेनाराम पुत्र सोनाराम 2
पूनमचन्द 3 सुरेश कुमार पिसरान
दलाराम प्रार्थी संख्या 03 नाबालिग
जरिये कुदरती माता प्रार्थी संख्या
04 4 दल्लीदेवी पत्नी दलाराम
जाति जाट निवासी रामपुरा गरल,
गरल 5 बालाराम पुत्र सोनाराम
जाति जाट निवासी जोगेश्वर कुआ,
गरल तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 लाभूराम पुत्र रूपाराम 2 चोलाराम 3 मूलाराम
पिसरान सोनाराम 4 मूलाराम 5 भूराराम 6
उम्मेदाराम पिसरान रतनाराम 7 नारणाराम पुत्र
अमराराम 8 लक्ष्मी पत्नी अमराराम जाति जाट
निवासी रामपुरा गरल, गरल 9 सुगणी पत्नी
लुम्भाराम 10 नारणाराम 11 धीराराम पिसरान
लुम्भाराम 12 पदमाराम पुत्र सोनाराम 13 हथूदेवी
पत्नी सोनाराम जाति जाट निवासी जोगेश्वर
कुआ, गरल तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 514/2018

दिनांक- 14.6.19

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा रामपुरा गरल पटवार क्षेत्र गरल तहसील व जिला बाड़मेर
के खसरा संख्या 408/353 रकबा 42.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित
करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है।
उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये
सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी
नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर
पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे
एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा
किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 18/06/19

क्रमांक :- रीडर/2019/1353-57

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी गरल तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. गेनाराम पुत्र सोनाराम वगैराह जाति जाट निवासी रामपुरा गरल, गरल तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी लाभूराम पुत्र रूपाराम वगैराह जाति जाट निवासी रामपुरा गरल, गरल तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर